**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)**

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 05-04-2016

**बैठक कार्यवाही विवरण**

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4.4.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक इस माह आयोजित नहीं की गई है, आयोजित की जाए।

   (एसई, आईएवाई)

2. सांसद आदर्श ग्राम योजना /मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट में आने वाली कुछ मामलों में तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण भारत सरकार/ वैब साईट डवलपर्स से करायी जाए। राज्य के अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों को निरीक्षण हेतु संस्थान में निर्धारित दरें भिजवाने हेतु जारी पत्र दि0 30.3.2016 को विभागीय वैब साईट पर अपलोड किया जाए।

   (परि0निदेशक एसएपी–I एवं II)

3. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु एमपी लैड योजना में 169 कार्यो एवं बीएडीपी योजना में लगभग 25 कार्यो की सूची थर्ड पार्टी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही करें।

   (परि0निदेशक एसएपी–I एवं II)

4. श्री दीपन अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय से विजिलैंस का कार्य तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।

5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में वाटरसैड के पुराने रिकार्ड के संबंध में बैठक आयोजित की जाए, जिसमें आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त वाटरसैड को आमंत्रित किया जाए। इस हेतु पुनः एजेण्डा तैयार कर प्रस्तुत करें।

   (सं.शा.सचिव. प्रशासन)

6. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले 45 विकास अधिकारियों को चार्जशीट पंचायतीराज विभाग द्वारा दे दी गयी है। प्रगति की समीक्षा पंचायतीराज विभाग से की जाकर अवगत करायें।

   (सं.शा.सचिव,प्रशा.)

7. आवास योजना
   - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए आवास योजना में प्रथम किश्त लगभग 771 की पैंडिग है।
   - अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों का निर्धारण कर एक सप्ताह में जिलों को अवगत करायें। लॉटरी की प्रक्रिया पुनः की जाए। इस हेतु जिलों को स्मरण पत्र दिया जाए।

- आवास सहायकों को मोबाईल एप की सहायता से फोटो अपलोड हेतु पंचायत समिति का लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 16.3.2016 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंन्स में जिलों को अवगत करा दिया गया था। अलग से पत्र द्वारा भी जिलों को निर्देशित करावें।
- जिला बाडमेर में पुराने आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु जिले को निर्देशित करें।
- अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति से करवाकर श्रम विभाग को अवगत कराया जाए।

(एसई,आईएवाई)

**8.** मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 196 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा0 मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावें।

1. चयनित ग्राम पंचायतों की अच्छी परफोरमेंन्स वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को दि0 22.3.2016 तक अवगत कराया जाए।
2. चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान नहीं दिये जाने वाले विधायकों की सूची से मा0 मुख्यमंत्री महोदया को अवगत कराया जाए।
3. एमएजीपीवाई योजना में सफलता के कार्यो की बुक दि0 19.4.2016 तक छपवाई जाए। इस कार्य के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है।

(पीडी,एसएपी–I)

**9.** मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में वर्ष 2016–17 के लिए 50 करोड रूपये के प्रावधान हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भेजी जाए। राशि के उपयोग के संबंध में सलाह हेतु परि0निदेशक, मोएवंमू/एसएपी–II/अधी0अभि0आईएवाई/एक्सईएन श्री योजना द्वारा आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण जारी किया जाए।

(परि0निदे0एसएपी–II)

**10.** बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति एवं 4 करोड रूपये उपलब्ध है, की समीक्षा। इस हेतु प्र.शा. सचिव, ग्रा.वि.एवं पं. राज की अध्यक्षता में बैठक रखी जाए।

(पीडी एसएपी)

**11.** विधान सभा के 96 प्रश्न लम्बित है। इसकी स्थिति अनुभागवार संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन उपलब्ध करायेंगे। विधान सभा प्रश्न व अन्य सूचनाओं के लिए संबंधित अनुभाग के परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगें। अतः सभी परियोजना निदेशक अपने स्तर पर अंतिम रूप से सभी सूचनाओं की सत्यता की जांच कर ही सूचनाऐं विधान सभा व मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेष्ज्ञित करेगें।

(सं0शा0सचिव, प्रशासन/पीडी/योजना प्रभारी)

**12.** आईडब्ल्यूएमएस साफ्टवेयर के अनुसार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के विरूद्ध समायोजन/पूर्णता प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नानुसार हैः–

| वर्ष | स्वीकृत कार्य (संख्या में) | स्वीकृत राशि (करोडों में) | यूसी पैण्डिंग | | सीसी पैन्डिंग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कार्य | राशि | कार्य | राशि |
| 2014–15 | 15162 | 763.19 | 7077 | 263.72 | 1812 | 68.91 |
| 2015–16 | 14551 | 698.61 | 6109 | 196.16 | 822 | 23.64 |

इससे पूर्व की स्थिति वैबसाईड पर उपलब्ध है। **(वित्तीय सलाहकार)**

13. विभाग की बंद पडी योजनाओं की समीक्षा हेतु सूची तैयार कर सूची का अवलोकन शासन सचिव, ग्रा.वि. से करवाकर संबंधित विभाग/अनुभाग को आवंटित की जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

14. महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है। अतः नवीनतम प्रगति से अवगत करावें।

- वित्तीय सलाहकार महात्मा गांधी नरेगा के सहयोग से एसबीबीजे से चर्चा कर सॉफ्टवेयर बनाया जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

15. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें, जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे। थर्ड पार्टी से चर्चा कर प्रस्ताव बनावें। प्रशासनिक मद की राशि पंचायत समिति /ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित करने हेतु कार्य योजना तैयार करायी जाए। इस हेतु श्री योजना प्रभारी, अधीक्षण अभियन्ता ग्रा.वि. एवं अधीक्षण अभियन्ता पंचायतीराज की संयुक्त बैठक आयोजित कर किये जाने वाले निर्णयों से अवगत कराया जाए।

(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना/अधी.अभि. पं.राज एवं ग्रा.वि)

16. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए–

- डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा। (पीडी, एसएपी–II)
- शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की प्रगति समीक्षा प्रभारी श्री योजना द्वारा की जाएगी। इसके लिए उनके द्वारा मैनपावर लिया जायेगा।

(श्रीयोजना)

17. मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने हेतु राजीविका से चर्चा कर ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।

(एसई, आईएवाई)

18. सीएसआर के लिए आयुक्तालय उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उनके पास सीधे तौर पर ऐसी कोई राशि उपलब्ध नहीं है जिसका आवंटन विभाग या योजना के लिए किया जा सके। इस संबंध में उद्योग विभाग कम्पनियों की लिस्टिंग एवं उनके द्वारा सीएसआर हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि की जानकारी प्राप्त कर रहा है।

शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार सीएसआर में किस प्रोजेक्ट पर स्वीकृति पहले जारी की जाये और उनकी प्राथमिकता क्या [redacted] होगी ? सचिव महोदय से पुनः निर्धारित करवाकर उद्योग विभाग को प्रेषित किया जाये।

(पीडी एमएण्डई)

19. परियोजना अधिकारी (अभि0) एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद की बैठक हेतु दिनांक निर्धारित कर नोटिस जारी करें।

(एसई, आईएवाई)

20. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में जिला कलक्टर की पर्फोरमेन्स हेतु त्रैमासिक प्रगति की सूचना मुख्य सचिव महोदय एवं सम्भागीय आयुक्त को भेजी जावे।

(पीडी एमएण्डई)

21. वर्ष 2016–17 के लिए विभागीय योजनाओं का जिलेवार आवंटन आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर पर डाला जाए।

(योजना प्रभारी)

22. मुख्य मंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति पर चर्चा की जाए।

(योजना प्रभारी)

23. गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट लाये।

(पीडी एमएण्डई)

24. एसएजीपीवाई के लिए आगामी वर्ष के लिए ग्राम पंचायतों के चयन के संबंध में मा0 मंत्री महोदय की ओर से मा0 सांसदों को पत्र लिखवाया जाए।

(पीडी,एसएपी)

**परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव**
**(मोएवंमू)**

**<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग/महात्मा गांधी नरेगा
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना/ पं.राज
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)